देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 511 /भू अ० दिनांक : 30/5/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—उपरबगडबरा, थाना—सारवां, थाना सं०—398, अंचल—सोनाराठाढ़ी, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **मुरचुरा मोड़ (एन०एच० 114ए पर)—छतरा—बगडबरा—कोल्हड़िया—सोनारायडीह (एम०डी०आर०—224 पर) पथ पर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—उपरबगडबरा, थाना—सारवां, थाना सं०—398, अंचल— सोनाराठाढ़ी,, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.605** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क्र. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5	559	रैयती	बाड़ी—2	0.04	हारून मियां वो मो० लशकरी मियां वो मो० बजीर मियां वो मो० मोती मियां पे० हनीफ मियां वो गनू मियां वो सबदार मियां वो हशमुद्दीन मियां पे० अफताही मियां वो मधु मियां वो झगरू मियां पे० सदल मियां कौम मोमीन सा० ठाड़ी।	पोडैइयाँ नं०397	बघडबरा नं० 274	सरसकुण्डा 399	अर्जित खेसरा का शेष भाग
2	11	208	रैयती	बाड़ी—2	0.02	जैकुमार राय वो मोते राय वो गन्दोरी राय पे० फेकन राय वो अमीन राय वल्द संतु राय कौम भुमिहार सा० मीशीरडीह (ज० रै०)				
3	11	554	रैयती	बाड़ी—2	0.06	तथैव।				
4	11	556	रैयती	बाड़ी—2	0.03	तथैव।				
5	11	560	रैयती	बाड़ी—2	0.03	तथैव।				
6	12	553	रैयती	धानी—3	0.04	बैकुण्ठ पंडीत पे० जगत पंडीत वो किशन पंडीत वो बालकी पंडीत पे० ऐतवारी पंडीत वो सुलोचनी देवी पे० राजु पंडीत वो वनशी पंडित पे० बुधन पंडित(ज०रै०) कौम कुम्हार सा० देह।				
7	13	580	रैयती	धानी—3	0.015	गुलाब मियां वो जुलाब मियां पे० नाजो मियां कौम मोमीन सा० देह बगडबरा (ज० रै०)				
8	13	577	रैयती	धानी—3	0.035	अखरली मियां पे० नेहाल मियां कौम मोमीन सा० देह बगडबरा (ज०रै०)				
9	13	578	रैयती	धानी—3	0.02	तथैव।				
10	18	207	रैयती	धानी—3	0.07	साहेब महतो वो कामदेव महतो पे० नुनेश्वर महतो वो कलावती देवी पति गणेश महतो वो ऐशिया देवी पति पांचु महतो वो गोउर यादव पे० पांचु महतो वो राजू महतो वो रोहन महतो वो दुवराज महतो पे० मंगर महतो कौम गोवाला				

						सा० देह।				
11	19	209	रैयती	बाड़ी–2	0.02	अशोक कु० राय वो मनोज प्र० राय पे० विष्णु राय वो गजाधर राय वो वरजु राय पे० परनाथ राय (ज०रै०) कौम भुमिहार सा० मिश्राडीह				
12	19	210	रैयती	बाड़ी–2	0.005	तथैव।				
13	19	555	रैयती	बाड़ी–2	0.115	तथैव।				
14	22	576	रैयती	बाड़ी–2	0.05	तुलसी मिश्रा वो मुकुन्द मुरारी मिश्रा पे० ब्राहमानन्द मिश्रा वो अभिषेक मिश्रा पे० सदानन्द मिश्रा वो नागेश्वर मिश्रा पे० गोपीनाथ मीसीर वो देवेन्द्र मिश्रा वो अनिल मिश्रा पे० परमेश्वर मिश्रा वो राजीव रंजन मिश्रा वो सोमनाथ मिश्रा पे० लक्ष्मीनारायण मिश्रा कौम ब्राह्मण सा० सरसकुंडा।				
15		557	रैयती	–	0.055	मुस्तवाहा।				
				कुल रकवा–	**0.605**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

16/1/2020
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
16/1/20

-01-2020
अपर समाहर्त्ता
देवघर

16/1/20
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 511 / भू अ०, देवघर, दिनांक 30/5/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सोनारायठाढ़ी को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

16/1/2020
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
16/1/20

18-01-2020
अपर समाहर्त्ता
देवघर

18/1/20
समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।